



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com  
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / एचआरडी / 2022-23 / 3643

दिनांक : 10/11/2022

### टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

निगम द्वारा संविदा आधार पर टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 02.12.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं। समेकित मासिक वेतन रूपये 21,000/- (रु. इक्कीस हजार प्रतिमाह) (सी.टी.सी. आधार पर) देय होगा। विस्तृत शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप निगम की वेबसाईट [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) पर उपलब्ध हैं। आवेदन Online निगम की Email Id - [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com) अथवा Offline निगम मुख्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। समय-सीमा के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धिकरण केवल निगम की वेबसाईड पर दिया जायेगा। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

प्रबंधक (एचआरडी)



क्रमांक : मुख्या / एचआरडी / 2022-23 /

दिनांक :

## टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

दि एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद के लिये पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता, योग्यता पश्चात् अनुभव	आयु सीमा अधिकतम	समेकित मासिक वेतन
1.	टैली / ई. आर.पी. लेखापाल (संविदा)	13	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय (एम. कॉम.) डिग्री के साथ स्नातकोत्तर । डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय / लिमिटेड कम्पनी / उपक्रम / संस्थाओं में टैली ई.आर.पी. लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 1.7.2022 को 30 वर्ष। अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए 35 वर्ष।	रु. 21,000 प्रतिमाह (सीटीसी)

टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) के रिक्त पदों अनुसार आरक्षण रोस्टर :-

क.	अनारक्षित कुल पद संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग कुल पद संख्या	अनुसूचित जनजाति कुल पद संख्या	अनुसूचित जाति कुल पद संख्या	दिव्यांग जन कुल पद संख्या	भूतपूर्व सैनिक कुल पद संख्या	महायोग
	कुल 01 पद	कुल 04 पद (महिलाओं के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 03 पद (महिलाओं के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 03 पद (महिलाओं के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 01 पद	कुल 01 पद	13

आवेदक पूर्ण बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप, सेवा शर्तों का विवरण एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाइट [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) पर उपलब्ध है। नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2022 तक सांयकाल 5.00 बजे तक Online निगम की Email Id - mpagrohobpl@gmail.com अथवा Offline निगम मुख्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। समय-सीमा के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों की पूर्ति का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

प्रबंध संचालक



THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.  
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003  
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com  
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

टैली/ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम	.....
2	पिता/पति का नाम	.....
3	जन्म तिथि	.....
4	जाति (सही पर निशान लगाये)	अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक
5	स्थायी पता	..... ..... .....
6	वर्तमान पता	..... ..... .....
7	मोबाईल नंबर	.....
8	शैक्षणिक योग्यता :-	

क्र.	बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा/अन्य योग्यता	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत	रिमार्क
1						
2						
3						
4						

नोट : कृपया अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

9	अनुभव :-					
क्र.	संस्था/उपक्रम का नाम	कब से कब तक कार्यरत	कुल अनुभव		कार्य का विवरण	रिमार्क
			वर्ष	माह		
1						
2						
3						

नोट : कृपया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक : .....

आवेदक का नाम .....

एवं पता .....

**टैली/ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी**

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को संविदा आधार पर 13 टैली/ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की आवश्यकता है। प्रति अभ्यर्थी को समेकित मासिक वेतन रुपये 21,000/प्रतिमाह (सीटीसी) देय होगा। संविदा की प्रथमतः अवधि एक वर्ष होगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर एक-एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।

**1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता**

विश्वविद्यालय से एम. कॉम. की उपाधि।

**2. अनुभव**

एम.कॉम.(स्नातकोत्तर) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/उपक्रम अथवा निजी संस्था में टैली/ई.आर.पी. लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।

**3. चयन का मापदंड**

- 3.1 निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। निगम मुख्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम श्रेणी का रेल/बस किराया (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) देय होगा।
- 3.2 योग्यता के लिए अधिकतम 60 अंक, अनुभव के लिए 25 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित किये गये हैं। योग्यता एवं अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

<b>शैक्षणिक योग्यता के अंक</b>		
परीक्षा का नाम	परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक	परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक
12 वीं	20	15
बी.कॉम. (स्नातक) परीक्षा	20	20
एम.कॉम (स्नातकोत्तर) परीक्षा	20	15
कुल	60	50

<b>अनुभव के अंक</b>	
न्यूनतम 3 वर्ष से 4 वर्ष के अनुभव के लिए	15
4 वर्ष से 5 वर्ष के अनुभव के लिए	20
5 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव के लिए	25

<b>साक्षात्कार के अंक</b>	
निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कुल अंक 15 निर्धारित हैं। अंकों का आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा।	

- 3.3 एक पद के लिए अधिकतम 06 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मैरिट आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

#### 4. अन्य शर्तें

- 4.1 दिनांक 01.07.2022 को आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिये आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।
- 4.2 साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा।
- 4.3 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात् साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता (शैक्षणिक एवं अनुभव) को 85 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 15 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।
- 4.4 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4.5 नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं आकस्मिक होगी।
5. चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रु. 1000/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
6. अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तों, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. निगम का प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिलों में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, इसके लिये साधारण दर नियमानुसार रु. 125/- प्रतिदिन की दर से डी.ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिए विशेष दर रु. 185/-) होगी। प्रदेश के अन्दर जिलों में ठहरने के लिए रु. 625/- प्रदेश के चार बड़े नगर यथा (इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं प्रदेश के बाहर) ठहरने के लिए रु. 925/- प्रतिदिन अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यात्रा के लिए ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।
8. बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व संबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।
9. लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात् छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
10. अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं करने पर अथवा सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व 07 दिवस की सूचना पर यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा। अनुबंध की निरस्ती बाबत संबंधित कर्मचारी को किसी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा और न ही इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बाबत किसी प्रकार के दावा करने का अधिकार होगा।
11. अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से अपनी सेवाएं त्यागकर / छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।